सं. ए. 12018/7/2016-डी. आर.एस. भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) निर्माण भवन

नई दिल्ली-110011, तारीख 31 मई, 2017

सूचना

यह मंत्रालय, सी.डी.एल. कोलकाता, सी.डी.टी.एल. चेन्नई, सी.डी.टी.एल., मुम्बई, आर.डी.टी.एल. चंडीगढ़ और आर.डी.टी.एल. गुवाहाटी में समूह 'क' पदों के लिए विद्यमान भर्ती नियमों का संशोधन करने और सभी केन्द्रीय औषध प्रयोगशालाओं में समूह क पदों के लिए सामान्य भर्ती नियम पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव की परीक्षा कर रहा है। सामान्य भर्ती नियमों के अधीन रिक्त पदों पर प्रोन्नितयां केन्द्रीय औषध प्रयोगशालाओं में पोषक प्रवर्गों के अधिकारियों की सिम्मिलित ज्येष्ठता के आधार पर होंगी। इस संबंध में, प्रारूप भर्ती नियम तैयार किए गए हैं और वे संलग्न हैं।

- 2. भर्ती नियमों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके अंतिम रूप देने से पूर्व, सभी हितबद्ध व्यक्तियों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वैबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर इस संबंध में टिप्पणियां आमंत्रित की जातीं हैं। मंत्रालय द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों से विनिर्दिष्ट अविध के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर नियमों/अपेक्षाओं के अनुसार विचार किया जाएगा।
- 3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा सं. 301-डी, डी. विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 में दी जा सकती हैं और साफ्ट प्रति sahoo.dn@ni c.i n पर भेजी जा सकती है।

(डी. एन. साहू) उप-सचिव, भारत सरकार टेलीफोन- 23061656

अनुसूची

पद का नाम	पद-संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने
			का स्तर	अचयन पद	वाले व्यक्तियों के	वाले व्यक्तियों के लिए
					लिए आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षिक और
						अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
उप-निदेशक	5*	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स	चयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।
	*2017 - कार्यभार के	समूह क, राजपत्रित,	में स्तर 12			
	आधार पर परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	(78,800-			
	जा सकता है ।		2,09,200			
	सी.डी.एल. कोलकाता -2		रु.)			
	सी.डी.टी.एल. मुम्बई -1					
	आर.डी.टी.एल. गुवाहाटी -1					
	सी.डी.टी.एल. हैदराबाद -1					

404 0-44 404	-0-0	~~ ~~ ~~			
सीधे भर्ती किए जाने			प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या		भर्ती करने में किन
	अवधि, यदि कोई	सीधे होगी या प्रोन्नति			परिस्थितियों में संघ
लिए विहित आयु	हो	द्वारा या प्रतिनियुक्ति		तो उसकी सरचना	लोक सेवा आयोग से
और शैक्षिक अर्हताएं		द्वारा या आमेलन द्वारा	आमेलन किया जाएगा		परामर्श किया जाएगा
प्रोन्नत व्यक्तियों की		और विभिन्न पद्धतियों			
दशा में लागू होंगी		द्वारा भरे जाने वाले			
या नहीं		पदों की प्रतिशतता			
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके	<u>प्रोन्नति</u>	प्रोन्नति के लिए	पद को प्रतिनियुक्ति
		न हो सकने पर	केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के	विभागीय प्रोन्नति	(जिसके अंतर्गत
		प्रतिनियुक्ति द्वारा	सी.डी.एल./सी.डी.टी.एल./आर.डी.टी.एल. में	समिति:-	अल्पकालिक संविदा
		(जिसके अंतर्गत	स्तर 11 में किसी भी शाखा के ऐसे ज्येष्ठ	1.अध्यक्ष / सदस्य,	भी है) की पद्धति द्वारा
		अल्पकालिक संविदा भी	वैज्ञानिक अधिकारी, जिन्होंने उस पद पर	संघ लोक सेवा	भरने के लिए संघ
		考)	नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच	आयोग - अध्यक्ष	लोक सेवा आयोग से
			वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।	2.सचिव/संयुक्त	परामर्श करना
			<u>टिप्पण 1</u> : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची	सचिव, स्वास्थ्य	आवश्यक है ।
			केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के	और परिवार	
			सी.डी.एल./सी.डी.टी.एल./आर.डी.टी.एल. में	कल्याण मंत्रालय	
			ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों की सम्मिलित	- सदस्य	
			ज्येष्ठता के आधार पर तैयार की जाएगी ।	3.औषध	
			टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के	महानियंत्रक(भारत)	
			संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता	- सदस्य	
			सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार		
			किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के		
			संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह		
			तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या		
			पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा		

के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है केन्दीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों/लोक सेक्टर उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/अर्ध-सरकारी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:-(अ)(i) जो अपने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन ढांचा(पुनरीक्षित) के स्तर 11(67,000-2,08,700 रु.) में नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा कर ली है; और (आ) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव धारण किए ह्ए हैं:-(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से फार्मेसी या जैव-प्रोद्यौगिकी या रसायन-शास्त्र या जैव-रसायन या भेषज

रसायन या भेषज-विज्ञान या सूक्ष्मजीव-विज्ञान में मास्टर डिग्री (ii) ओषधियों / प्रसाधन सामग्री के परीक्षण का 10 वर्ष का अन्भव । वांछनीय: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्संगत विषय में डाक्टरेट डिग्री । (ii) ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक जर्नलों में वैज्ञानिक प्रकाशन । टिप्पण 1 : पोषक श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस निय्क्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनिय्क्ति की अवधि है(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची

पद का	पद-संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स	चयन	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
नाम			का स्तर	अथवा	वाले व्यक्तियों के	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
				अचयन	लिए आयु सीमा	
				पद		
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ	16*	साधारण केन्द्रीय	वेतन ढांचा	चयन	40 वर्ष से अधिक	आवश्यक
वैज्ञानिक	*2017 - कार्यभार के	सेवा, समूह क,	(पुनरीक्षित) में		नहीं ।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/
अधिकारी	आधार पर परिवर्तन किया	राजपत्रित,	स्तर 11		<u>टिप्पण 1</u> : केन्द्रीय	संस्थान से फार्मेसी या जैव-प्रोचौगिकी या
	जा सकता है ।	अननुसचिवीय	(67,700-		सरकार द्वारा जारी	रसायन-शास्त्र या जैव-रसायन या भेषज
	सी.डी.एल. कोलकाता -10		2,08,200 रु.)		अनुदेशों या निदेशों	रसायन या भेषज-विज्ञान या सूक्ष्मजीव-
	सी.डी.टी.एल. चेन्नई -01				के अनुसार सरकारी	विज्ञान में मास्टर डिग्री
	सी.डी.टी.एल. मुम्बई -01				सेवकों के लिए पांच	(ii) ओषधियों/प्रसाधन सामग्री के परीक्षण
	आर.डी.टी.एल. चंडीगढ़ -2				वर्ष तक शिथिल की	का ५ वर्ष का अनुभव ।
	आर.डी.टी.एल. गुवाहाटी -1				जा सकती है ।	<u>वांछनीयः</u> किसी मान्यताप्राप्त
	सी.डी.टी.एल. हैदराबाद -1				<u>टिप्पण २</u> : आयु	विश्वविद्यालय/संस्थान से सुसंगत विषय में
					सीमा अवधारित	डाक्टरेट डिग्री ।
					करने के लिए	टिप्पणः अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ
					निर्णायक तारीख वह	लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित
					होगी जो संघ लोक	जातियों या अनुसूचित जनजातियों के
					सेवा आयोग द्वारा	अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती
					विज्ञापित की जाए ।	हैं यदि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक
						सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए
						आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित
						अनुभव धारण करने वाले इन समुदायों के
						अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने
						की संभावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धतिः भर्ती	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने में
वाले व्यक्तियों के	अवधि, यदि कोई	सीधे होगी या प्रोन्नति	द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से	समिति है तो उसकी	किन
लिए विहित आयु	हो	द्वारा या प्रतिनियुक्ति	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया	संरचना	परिस्थितियों
और शैक्षिक अर्हताएं		द्वारा या आमेलन द्वारा	जाएगा		में संघ लोक
प्रोन्नत व्यक्तियों की		और विभिन्न पद्धतियों			सेवा आयोग से
दशा में लागू होंगी		द्वारा भरे जाने वाले			परामर्श किया
या नहीं		पदों की प्रतिशतता			जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु – नहीं	सीधे भर्ती किए	50 प्रतिशत प्रोन्नति	<u>प्रोन्नति</u>	प्रोन्नति के लिए	प्रत्येक अवसर
शैक्षिक अर्हता - हां	जाने वाले	द्वारा, जिसके न हो	केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के	विभागीय प्रोन्नति	पर संघ लोक
	व्यक्तियों के लिए	सकने पर प्रतिनियुक्ति	सी.डी.एल./सी.डी.टी.एल./आर.डी.टी.एल. में	समिति:-	सेवा आयोग से
	एक वर्ष ।	द्वारा (जिसके अंतर्गत	स्तर 10(56,100-1,77,500 रु.) में ऐसे	१.अध्यक्ष/सदस्य, संघ	परामर्श करना
		अल्पकालिक संविदा भी	वैज्ञानिक अधिकारी, जिन्होंने उस पद पर	लोक सेवा आयोग	आवश्यक है ।
		考)	नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच	- अध्यक्ष	
		50 प्रतिशत सीधी भर्ती	वर्ष की सेवा पूरी कर ली है जिसके न हो	2.महानिदेशक,	
		द्वारा ।	सकने पर स्तर 8(47,600-1,51,100 रु.) में	स्वास्थ्य सेवा या	
			ऐसे कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जिन्होंने	विशेष महानिदेशक,	
			वैज्ञानिक अधिकारी और कनिष्ठ वैज्ञानिक	स्वास्थ्य सेवा/अपर	
			अधिकारी की श्रेणियों में कुल मिलाकर छह वर्ष	महानिदेशक, स्वास्थ्य	
			नियमित सेवा की है जिसमें तीन वर्ष की	सेवा	
			नियमित सेवा वैज्ञानिक अधिकारी की श्रेणी में	- सदस्य	
			वेतन ढांचा (पुनरीक्षित) के स्तर 10(56,100-	3.संयुक्त सचिव,	

1,77,500 रु.) में होनी चाहिए । टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची कल्याण मंत्रालय सी.डी.एल./सी.डी.टी.एल./आर.डी.टी.एल. वैज्ञानिक अधिकारियों की सम्मिलित ज्येष्ठता सीधे भर्ती किए जाने के आधार पर तैयार की जाएगी । टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध पृष्टीकरण के लिए में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी विभागीय प्रोन्नति कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा सिमिति:-रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में 1.अपर सचिव/संयुक्त भी विचार किया जाएगा परन्त् यह तब जबकि | सचिव, स्वास्थ्य और उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, परिवार कल्याण अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ 2.औषध महानियंत्रक व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की 3. निदेशक/उप-अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक परिवार कल्याण संविदा भी है केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों/लोक उपक्रमों /स्वायत सेक्टर निकायों/अर्ध-सरकारी संगठनों / अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:-(अ)(i) जो अपने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए

हैं; या

स्वास्थ्य और परिवार - सदस्य वाले व्यक्तियों के मंत्रालय

- अध्यक्ष (भारत)

- सदस्य सचिव. स्वास्थ्य और मंत्रालय - सदस्य

	(i i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में मूल
	काडर/विभाग में वेतन ढांचा(पुनरीक्षित) के
	स्तर 10(56,100-1,77,500 रु.) में पांच वर्ष
	की नियमित सेवा कर ली है; और
	(आ) जिनके पास स्तंभ ७ में सीधे भर्ती किए
	जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक
	अर्हताएं और अनुभव है ।
	टिप्पण 1 : पोषक श्रेणी के ऐसे विभागीय
	प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए
	जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त
	व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार
	किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।
	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि(जिसके
	अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके
	अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी
	अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से
	ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद
	पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है(जिसके अंतर्गत
	अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया चार
	वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति
	पर(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)
	नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन
	प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से
	अधिक नहीं होगी ।
<u> </u>	अत्सची

नाम			का स्तर	अथवा अचयन पद	वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
वैज्ञानिक अधिकारी	32* *2017 - कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । सी.डी.एल. कोलकाता -5 सी.डी.टी.एल. चेन्नई -4 सी.डी.टी.एल. मुम्बई -5 आर.डी.टी.एल. चंडीगढ़ -4 आर.डी.टी.एल. गुवाहाटी -5 सी.डी.एल.कसौली-5 सी.डी.टी.एल. हैदराबाद -4	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह क, राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन ढांचा (पुनरीक्षित) में स्तर 10 (56,100- 1,77,500 रु.)	चयन	लागू नहीं होता ।	लाग् नहीं होता ।

सीधे	भर्ती किए	जाने	परिवीक्षा की	भर्ती	की पद्धतिः भर्ती	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने में
वाले	व्यक्तियों	के	अवधि, यदि कोई	सीधे	होगी या प्रोन्नति	द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से समिति है तो उसकी	किन
लिए	विहित	आयु	हो	द्वारा	या प्रतिनियुक्ति	प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया संरचना	परिस्थितियों

और शैक्षिक अर्हताएं		द्वारा या आमेलन द्वारा	जाएगा		में संघ लोक
प्रोन्नत व्यक्तियों की		और विभिन्न पद्धतियों			सेवा आयोग से
दशा में लागू होंगी		द्वारा भरे जाने वाले			परामर्श किया
या नहीं		पदों की प्रतिशतता			जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा ।	<u>प्रोन्नति</u>	प्रोन्नति के लिए समूह	संघ लोक सेवा
			सी.डी.एल./सी.डी.टी.एल./आर.डी.टी.एल. में	'क' विभागीय प्रोन्नति	आयोग से
			स्तर 8(47,500-1,51,500 रु.) में किसी भी	समिति:-	परामर्श करना
			शाखा के ऐसे कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,	१.अध्यक्ष/सदस्य, संघ	आवश्यक है ।
			जिन्होंने उस पद पर नियुक्ति के पश्चात्	लोक सेवा आयोग	
			नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा पूरी कर	- अध्यक्ष	
			ली है।	2. संयुक्त	
			<u>टिप्पण 1</u> : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची	सचिव/निदेशक/उप-	
			सी.डी.एल./सी.डी.टी.एल./आर.डी.टी.एल. में	सचिव, स्वास्थ्य और	
			कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों की सम्मिलित	परिवार कल्याण	
			ज्येष्ठता के आधार पर तैयार की जाएगी ।	मंत्रालय	
			टिप्पण 2: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध	- सदस्य	
			में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी	3.औषध	
			कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा	महानियंत्रक(भारत) -	
			रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में	सदस्य	
			भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि		
			उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,		
			अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से		
			अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम		
			हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ		
			व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता		
			सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर		

	श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की	
	अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	